राजस्थान सरकार

न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः— 117 / 2019

वादीगणः—

1. मगसिंह पुत्र श्री जोगसिंह फौत के कायम मुकाम
1/1 हरिसिंह पुत्र श्री मगसिंह
1/2 इन्द्रसिंह पुत्र श्री मगसिंह
1/3 रूपसिंह पुत्र श्री मगसिंह
1/4 गायड़सिंह पुत्र श्री मगसिंह
1/5 दानसिंह पुत्र श्री मगसिंह
1/6 तगसिंह पुत्र श्री मगसिंह
1/7 प्रेमकंवर पुत्री श्री मगसिंह
1/8 पपूकंवर पुत्री श्री मगसिंह
1/9 नथूकंवर पत्नी श्री मगसिंह
जाति राजपूत, निवासी मीनों की ढाणी
तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।
3. आमसिंह पुत्र श्री रामसिंह
4. पपूसिंह पुत्र श्री रामसिंह
5. भीमसिंह पुत्र श्री रामसिंह
6. जेठूकंवर पत्नी श्री रामसिंह
7. इमरतकंवर पत्नी श्री बलवन्तसिंह
   सभी जाति राजपूत निवासी मीनों की ढाणी
   तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्व रेकर्ड [illegible] बाबत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:40:29 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित —

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पेंपसिंह भाटी।
प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित।
प्रतिवादी संख्या 3 से 7 के विरूद्ध एकपक्षीय।

Scanned by CamScanner

–::निर्णय::–

दिनांकः– 15/01/2020

वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व रेकर्ड दुरस्ती का इस आशय का पेश किया कि– ग्राम मीनों की ढाणी पटवार हल्का चेराई तहसील तिंवरी जिला जोधपुर में खसरा नम्बर 884 रकबा 03 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 885 रकबा 05 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 886 रकबा 06 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 887 रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा, कुल खसरा 4 कुल रकबा 28 बीघा 10 बिस्वा व ग्राम झरिया, पटवार क्षेत्र एकलखोरी, तहसील ओसियां की सरहद में खसरा नम्बर 176 रकबा 04 बिस्वा व खसरा नम्बर 1126 रकबा 56 बीघा 04 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 56 बीघा 08 बिस्वा भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 से 7 की संयुक्त खातेदारी की हुई है। उपर्युक्त खसरान की भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 से 7 तक की खातेदारी की है तथा शांतिपूर्वक कब्जा काश्त है। वादीगण के पिता व पति मगसिंह दो नामों से जाने जाते थे। घरेलू बोलचाल का नाम मंगलसिंह था तथा बाहरी बोलचाल का नाम मगसिंह था दोनों नाम वादीगण के पिता व पति के ही है दो नामों का अलग–अलग व्यक्ति नहीं था। राजस्व रेकर्ड ग्राम मीनों की ढाणी तहसील तिंवरी व ग्राम झरिया तहसील ओसियां की जमाबन्दी में बोलचाल का नाम मंगलसिंह पि. जोगसिंह दर्ज कर दिया गया तथा ग्राम एकलखोरी के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में सही नाम बाहरी बोलचाल का नाम मगसिंह पुत्र जोगसिंह दर्ज करवा दिया गया। इसलिए ग्राम मीनों की ढाणी व झरिया के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण के पिता व पति का गलत नाम मंगलसिंह के स्थान पर सही नाम रेकर्ड व सरकारी दस्तावेज अनुसार मगसिंह दर्ज कर खातेदार घोषित करवाने के लिए यह दावा पेश है। जमाबन्दियां, वादीगण के पिता व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता डायरी, जॉबकार्ड, भामाशाह कार्ड मतदाता पहचान पत्र तथा वादीगण के आधार कार्डों व अन्य सही नाम के दस्तावेजों की प्रतियां साथ पेश है। उक्त ग्राम मीनों की ढाणी तहसील तिंवरी व ग्राम झरिया तहसील ओसियां की उपरोक्त खसरान की खातेदारी भूमि में वादीगण के पिता व पति का घरेलु बोलचाल का गलत नाम मंगलसिंह पुत्र जोगसिंह दर्ज होने के कारण उक्त खसरान की भूमि का विभाजन करने, भूमि सम्बन्धी हकतर्क हस्तान्तरण, बख्सीस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:40:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

आदि करने, भूमि सम्बन्धी विकास कार्य व अन्य किसी तरह की कार्यवाही करने में कठिनाईयां होने के कारण राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण के पिता व पति का नाम मंगलसिंह पि. जोगसिंह के स्थान पर मगसिंह पि. जोगसिंह नाम की खातेदारी घोषित कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करने हेतु यह वाद पेश है। वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम मीनों की ढाणी पटवार हल्का चेराई तहसील तिंवरी जिला जोधपुर में खसरा नम्बर 884 रकबा 03 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 885 रकबा 05 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नमबर 886 रकबा 06 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 887 रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा, कुल खसरा 4 कुल रकबा 28 बीघा 10 बिस्वा व ग्राम झरिया, पटवार क्षेत्र एकलखोरी, तहसील ओसियां की सरहद में खसरा नम्बर 176 रकबा 04 बिस्वा व खसरा नम्बर 1126 रकबा 56 बीघा 04 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 56 बीघा 08 बिस्वा में वादीगण के पिता का नाम मंगलसिंह पि. जोगसिंह के स्थान पर मगसिंह पि. जोगसिंह के नाम खातेदारी घोषित कर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

वादीगण का उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस भेजे गये। लेकिन प्रतिवादी संख्या 3 से 7 बावजूद सूचना के भी अनुपस्थित रहे न्यायालय समय में तीन बार रूक–रूक कर आवाजे लगाई गई, लेकिन प्रतिवादी संख्या 3 से 7 की ओर से असालतन या वकालतन कोई उपस्थित नहीं आये, अतः प्रतिवादी संख्या 3 से 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार तिंवरी व प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार ओसियां ने इकबालिया जवाब पेश किये जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार तिंवरी ने अपने जवाब में बताया कि राजस्व रेकर्ड ग्राम मीनों की ढाणी के खसरा नम्बर 884 रकबा 3 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 885 रकबा 05 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 886 रकबा 06 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 887 रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा, कुल खसरा 4 कुल रकबा 28 बी[illegible] में वादीगण के पिता, पति का नाम संयुक्त खातेदार के रू[illegible]सिंह पि. जोगसिंह दर्ज है। प्रार्थीगण/वादीगण के आधार कार्ड, [illegible] कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में पिता, पति का नाम सह[illegible]म मगसिंह दर्ज है। राजस्व रेकर्ड चालु जमाबन्दी व अन्य स्वयं के दस्तावेज में दर्ज पिता, पति के नाम में अन्तर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:40:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

है। अतः वादीगण के पिता, पति का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में मंगलसिंह पि. जोगसिंह के स्थान पर मगसिंह पि. जोगसिंह शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार ओसियां ने अपने जवाब में बताया कि राजस्व रेकर्ड ग्राम झरिया पटवार क्षेत्र एकलखोरी के खसरा नम्बर 176 रकबा 04 बिस्वा व खसरा नम्बर 1126 रकबा 56 बीघा 04 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 56 बीघा 08 बिस्वा की चालु जमाबन्दी में वादीगण के पिता, पति का नाम संयुक्त खातेदार के रूप में मंगलसिंह पि. जोगसिंह दर्ज है। प्रार्थीगण/वादीगण के आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में पिता, पति का नाम सही नाम मगसिंह दर्ज है। राजस्व रेकर्ड चालु जमाबन्दी व अन्य स्वयं के दस्तावेज में दर्ज पिता, पति के नाम में अन्तर है। अतः वादीगण के पिता, पति का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में मंगलसिंह पि. जोगसिंह के स्थान पर मगसिंह पि. जोगसिंह शुद्ध किया जाना उचित है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम मीनों की ढाणी पटवार हल्का चेराई तहसील तिंवरी के खसरा नम्बर 884 रकबा 3 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 885 रकबा 05 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 886 रकबा 06 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 887 रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा, कुल खसरा 4 कुल रकबा 28 बीघा 10 बिस्वा व ग्राम झरिया पटवार क्षेत्र एकलखोरी तहसील ओसियां के खसरा नम्बर 176 रकबा 04 बिस्वा व खसरा नम्बर 1126 रकबा 56 बीघा 04 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 56 बीघा 08 बिस्वा में वादीगण के पिता, पति का नाम मंगलसिंह पि. जोगसिंह दर्ज है जो गलत है, सही नाम मगसिंह पि. जोगसिंह किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थीगण/वादीगण का वाद पत्र युक्तियुक्त आधारों पर आधारित होने से सरकारी पैरोकार के इकबालिया जवाब व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से वाद पत्र [illegible] वाद पत्र का खण्डन नहीं किया गया है। मैंने [illegible] का अध्ययन कर मनन किया, वादी का वादपत्र स्वीकार किये [illegible] योग्य समझता हूँ। अतः ग्राम मीनों की ढाणी पटवार हल्का चेराई तहसील [illegible]री के खसरा नम्बर 884 रकबा 3 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 885 रकबा 05 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 886 रकबा 06 बिस्वा गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 887 रकबा 27 बीघा 16 बिस्वा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:40:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

कुल खसरा 4 कुल रकबा 28 बीघा 10 बिस्वा व ग्राम झरिया पटवार क्षेत्र एकलखोरी तहसील ओसियां के खसरा नम्बर 176 रकबा 04 बिस्वा व खसरा नम्बर 1126 रकबा 56 बीघा 04 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 56 बीघा 08 बिस्वा खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता, पति का नाम मंगलसिंह पि. जोगसिंह के स्थान पर मगसिंह पि. जोगसिंह खातेदार घोषित कर राजस्व रेकर्ड में नाम शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है, तहसीलदार तिंवरी व ओसियां को आदेशित किया जाता है कि वादीगण के पिता, पति का नाम मंगलसिंह पि. जोगसिंह के स्थान पर मगसिंह पि. जोगसिंह के नाम से राजस्व रेकर्ड शुद्ध किया जावें।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

निर्णय आज दिनांक 15/01/2020 को खुला न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:40:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner